

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 817] No. 817] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 18, 2015/चैत्र 28, 1937

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 18, 2015/CHAITRA 28, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2015

का.आ. 1051(अ).—यत:, मै. महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड, ने राजस्थान राज्य के ग्राम- कलवारा, भाम्बोरिया, बगरू खुर्द एवं झी तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर में इंजिनियरिंग एवं संबंधित उद्योगों (पूर्वतः हल्के इंजिनियरिंग मोटर वाहन /मोटर वाहन घटकों सिहत) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त आधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 6 जनवरी, 2009 एवं दिनांक 28 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 37(अ) एवं का.आ. 341(अ) द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 103.1775 हेक्टेयर एवं 119.4955 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यत; विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की दिनांक 23 अक्टूंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3253 (अ) द्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 16.42 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित और 4.404 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनिधसूचित कर दिया था;

और यत; मैं. महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड ने उक्त विशेष आर्थिक जोन में 0.201 हेक्टेयर के क्षेत्र शामिल करने और 1.522 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनिधसुचित करने का प्रस्ताव किया है;

1762 GI/2015 (1)

अत:, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 0.201 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित और 1.522 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनिधसूचित करती है जिसके परिमाणत: कुल क्षेत्र 233.368 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात:—

अतिरिक्त क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	भम्बोरिया	1007	0.010
2		1045	0.070
3		1095	0.010
4		1108	0.014
5		1109	0.014
6		1110	0.013
7		1111	0.050
8		1113	0.020
	कुल		0.2010 हेक्टेयर

अनिधस्चित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	भम्बोरिया	947	0.020
2		960	0.840
3		1025	0.015
4		1044	0.012
5		1107	0.008
6		1123	0.001
7		1124	0.001
8		1141	0.008
9		1152	0.055
10		1154	0.082
11		957	0.050
12	बगरू खुर्द	928	0.430
कुल			1.522 हेक्टेयर
अतिरिक्त एवं अनिधसूचित के बाद एसईजेड का कुल क्षेत्र			233.368 हेक्टेयर

[फा. सं. एफ.1/280/2007-एसईजेड]

डॉ. गुरूप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2015

S.O. 1051(E).—Whereas, M/s. Mahindra World City (Jaipur) Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Engineering and related industries (formerly, light engineering including automotive/automotive components) at Kalwara, Bhamboriya, Bagru Khurd and Jhai Village, Tehsil Sanganer, District Jaipur, in the State of Rajasthan;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had notified areas of 103.1775 hectares and 119.4955 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 37(E), dated 6th January, 2009 and S.O 341(E) dated 28th February, 2012 respectively;

And, whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by second proviso to subsection (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had notified an area of 16.42 hectares and de-notified an area of 4.404 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 3253(E) dated 23rd October, 2013.

And, whereas, M/s. Mahindra World City (Jaipur) Limited, has now proposed to include an area of 0.201 hectares and decrease an area of 1.522 hectares from the above Special Economic Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an area of 0.201 hectares and de-notifies an area of 1.522 hectares, thereby making total area of the Special Economic Zone as **233.368 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:—

TABLE FOR ADDITIONAL AREA

S. No.	Name of the Village	Khasra No.	Area (in Hectares)
1	Bhambhoriya	1007	0.010
2		1045	0.070
3		1095	0.010
4		1108	0.014
5		1109	0.014
6		1110	0.013
7		1111	0.050
8		1113	0.020
	Total		0.2010 hectares

TABLE FOR DE NOTIFICATION

S. No.	Name of the Village	Khasra No.	Area (in Hectares)
1	Bhambhoriya	947	0.020
2		960	0.840

Grant total of the SEZ area after addition and denotification		233.368 hectares	
Total			1.522 hectares
12	Bagru Khurd	928	0.430
11		957	0.050
10		1154	0.082
9		1152	0.055
8		1141	0.008
7		1124	0.001
6		1123	0.001
5		1107	0.008
4		1044	0.012
3		1025	0.015

[F. No. F.1/280/2007-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.